FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

कमला पुत्री करनाराम **बनाम** पृथ्वीराज पुत्र अर्जुनराम वगैरा.

केस्म मुकदमा 131,136 आर.एल.आर **मु.नं.**......323/2024......**सन्**...........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.2024	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन करने से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नंबर 1097 रकबा 28.0770 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1097/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1097/2 रकबा 6.2079 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1097/3 रकबा 7.8347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1097/4 रकबा 6.2160 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1097/5 रकबा 7.8347 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक उक्त वादग्रस्त आराजी में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 30.12.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	
30/12/2024	आज श्री ... एस.डी.एम साहब ... अवकाश पर हैं। पेशी ... जाकर पत्रावली तारीख 24/01/25 को पेश हो।	
03/01/2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र वास्ते मिसल तलबी एवं प्रार्थना-पत्र विड्रो करने बाबत पेश किया जो अवलोकित पत्रावली [illegible] पत्रावली आज ही तलब की, तथा वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र वास्ते प्रार्थना-पत्र विड्रो करने बाबत पर पत्रावली बतौर विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। 03/01/25 (सुखाराम [illegible]) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	